फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

चन्दा राम बनाम गोपीराम वगै0

मा नं0 :– 70/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.04.2024	पत्रावली आज कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा मे पेश हुई। कोर्ट कैम्प की सूचना अधिवक्ता संघ को जरिये पत्र द्वारा पूर्व में दी गई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी सं0 3 उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 के विरूद्ध पूर्व मे दिनांक 21.09.23 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार ने अपने पत्रांकःआर. टी./2024/323 दिनांक 24.04.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने जवाब आपत्ति व वकील अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र न देकर सीधी बहस आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 128 पर करनी चाही। वकील उभय पक्ष बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 2.2800है, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.3900है0 ग्राम खरड की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं0 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 57 पर कल्याण, जगदीश पुत्रान घासी, प्रभू, रामनाथ, सोणीराम पुत्रान मोती का विगत 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पत्थगरढी योग्य नही है। पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 3 का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर.एक्ट पर सुनी गई। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, अप्रार्थी के आपत्ति प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम खरड, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 2.2800है, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.3900है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मोहन) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़